रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73 REGISTERED No. D.(D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 1980/कार्तिक 3, 1902
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 1980/KARTIKA 3, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1980

सा०का०नि० 1099.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स समारासा म्यूचुअल बेनिफिट फण्ड लिमिटेड नामक कम्पनी को, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तमिलनाडु राज्य में है 'निधि' के रूप में घोषित करती है और यह निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 978 तारीख 28 मई, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) का इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा और यह भी निदेश देती है कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची III के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के उपबन्ध ऐसी निधि को यथास्थिति लागू नहीं होंगे या उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अपवादों, उपान्तरणों या अनुकूलनों सहित लागू होंगे।

अनुसूची

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"75—मैसर्स समारासा म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड"

उपाबन्ध

भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (कम्पनी कानून प्रशासन विभाग) की यथासंशोधित अद्यतन अधिसूचना सं० सा०का०नि० 978, तारीख 28 मई, 1963 से संलग्न अनुसूची 3.

अनुसूची—3

अधिनियम के उपबन्ध	लागू होने का विस्तार
(1)	(2)
धारा 53(1)	इस उपान्तरण के अधीन लागू होगी कि, (i) किसी निधि या बिना शेयर पूंजी की पारस्परिक फायदा सोसाइटी के मामले में, या (ii) किसी निधि या शेयर पूंजी वाली पारस्परिक फायदा सोसाइटी के मामले में उन सदस्यों के संबंध में, जो सौ रुपए अंकित मूल्य या उससे अधिक के या समादत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के, इनमें से जो भी कम है, शेयर धारक नहीं है। दस्तावेज की तामील, यथास्थिति,

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Officers of the Central Government in the Ministry of Tourism and Civil Aviation failing which officers in other Ministries/Departments of the Central Government who shall have : (i) a degree of a recognised University of its equivalent; (ii) rendered at least 5 year's regular service in posts in the scale of Rs. 425-800/425-700 or equivalent; and (iii) completed *successfully*, or be eligible to undergo, the Basic Management Service Course of the Institute of Secretriat *Training and* Management or a comparable training in any other recognised institution. *Explanation* : If an officer who has not already undergone the said course is selected, shall be required to undergo the said course at the earliests and his continued retention in the post shall be subject to the condition thatthe completes the said course successfully within one year of the date of his appointment. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	The UPSC shall be consuletd while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

[No. A-12018/2/77-Admn.]

MANJIT SINGH, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1980

सा०का०नि० 1118.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में,—

(क) स्तम्भ 7 और 9 के बीच निम्नलिखित स्तम्भ और उसका शीर्षक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7-क—सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं ।"

(ख) क्रम सं० 24 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में रिपोर्टर (मानिटरिंग) के पद के लिए भर्ती नियम

	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या के०सि०से० (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	7-क	8
"25.	रिपोर्टर (मानीटर करना)	8	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, लिपिकवर्गीय	650-30-740-35-810-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति	प्रोन्नति : आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में ऐसे ज्येष्ठ आशुलिपिक (425-700 रुपए) जिन्होंने नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. निदेशक समाचार सेवा प्रभाग —अध्यक्ष 2. उप निदेशक (ए) —सदस्य 3. उप निदेशक (पी) —सदस्य	इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा०सं० 12018/4/72-बी० (ए०)]
आर० डी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th September, 1980

G.S.R. 1118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1962 namely :—

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Group-B posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.
   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the schedule to the All India Radio (Grop'B posts) Recruitment Rules, 1962.
   (a) Between columns 7 and 8 the following column and heading thereto shall be inserted, namely :—
   "7(A) Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972".
   (b) After serial No. 24 and the entities relating thereto, the following shall be inserted namely :—

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of reporter (Monitoring) in the news service division of All India Radio

Sl. No.	Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	6a	7	8
25.	Reporter (Monitoring)	8	General Central Service Group (B) Gazetted Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
N.A.	2 years	By promotion	Promotion: Senior Stenographers (Rs. 425-700) in the News Service Division of AIR with 8 years, service in the grade rendered after appointment thereof on a regular basis.	Group 'B' DPC. 1. Director News Service Division —Chairman 2. Dy. Director General (A) —Member. 3. Deputy Director General (P)—Member	Consultation with the UPSC necessary while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

[No. 12018/4/72-B(A)]
R.D. JOSHI, Under Secy.